भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1954

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

एनएसजी केन्द्र

†1954 श्री विन्सेंट एच० पाला:
श्री ई० जी० सुगावनम:
श्री सी० आर० पाटिल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में मुम्बई हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार राज्यों द्वारा अब तक स्थापित एनएसजी क्षेत्रीय केन्द्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह तथ्य सही है कि गुजरात में कोई क्षेत्रीय एनएसजी केन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या एनएसजी स्टाफ और हेलिकॉप्टरों की कमी महसूस कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को 30 जून/1 जुलाई, 2009 को चालू किया गया है।

(ग) और (घ) : गुजरात सरकार के अनुरोध प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले स्थान पर, गुजरात सरकार द्वारा मुफ्त भूमि प्रदान किए जाने की शर्त पर गुजरात में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।

<u>लो॰ स॰ अता॰ प्र॰ सं॰ 1954</u>

(ड.) और (च) : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जब और जहां आवश्यक होता है वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल और विमानन अनुसंधान केन्द्र से हेलीकॉप्टरों की मांग करती है। दिनांक 01.12.2013 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों की स्थिति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

	स्वीकृत पद संख्या	तैनात पद संख्या	कमी
अधिकारी/जीओ	487	387	100
एसी	1582	1287	295
रेंजर	7439	7534	+95 (अतिरिक्त)
कुल	9508	9208	300

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 100% प्रतिनियुक्ति वाला बल है और इसकी सम्पूर्ण जनशक्ति सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस संगठनों एवं अन्य से ली जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। फीडर संगठनों से उन्हें आवंटित कोटा के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए पात्र कर्मियों को पर्याप्त संख्या में स्पॉन्सर करने का निरंतर अनुरोध किया जाता है।

*****